



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोचीन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: cochincustoms@nic.in

Fax: 0484-2668468

F.No. VIG/Misc./769/2021

दिनांक 22.03.2023

सतर्कता परिपत्र VIGILANCE CIRCULAR No. 01/2023

विषय: ए ई बी ए एस प्रणाली में उपस्थिति का अंकन - बायोमेट्रिक उपस्थिति के निर्देशों का दोहराया जाना - के संबंध में।

Sub: Marking of Attendance in AEBAS System- Reiteration of instructions of Biometric Attendance- Reg.

कृपया सतर्कता परिपत्र संख्या 04/2014 दिनांक 29.09.2014 और डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-स्था. (ए-III) दिनांक 21.11.2014 द्वारा जारी निर्देशों का संदर्भ लें। उपर्युक्त विषय तत्काल प्रभाव से इसके अनुपालन हेतु इसे एतद्वारा दोहराया जाता है।

Please refer to the instructions issued vide Vigilance Circular No. 04/2014 dated 29.09.2014 and DoPT O.M. No. 11013/9/2014-Estt (A-III) dated 21.11.2014 on the above subject. The same are reiterated for compliance with immediate effect.

कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

The following instructions are issued for strict compliance: -

- सभी अधिकारियों को ए ई बी ए एस मशीनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है।
All officers are to mark their attendance in the AEBAS machines.
- सभी रिपोर्टिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रभार के तहत काम करने वाले अधिकारी एईबीएस में पंजीकृत हैं। जो अधिकारी पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे पंजीकरण के लिए सतर्कता अनुभाग से संपर्क करें।

All reporting officers have to ensure that officers working under their charge are registered in AEBAS. Those officers who are not registered are directed to approach Vigilance Section for registration.

- सभी सहायक/उप आयुक्तों को यह जाँच करने का निर्देश दिया जाता है कि, क्या उनके अधीन कार्यरत सभी अधिकारी ठीक से मैप किए गए हैं और नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

All Assistant/ Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped and are marking their attendance regularly.

(d) यह सुनिश्चित करना रिपोर्टिंग अधिकारी का कर्तव्य है कि, उनके अधीन सभी अधीनस्थ अधिकारी ठीक से मैप किए गए हैं और सिस्टम में उनकी उपस्थिति ठीक से चिह्नित कर रहे हैं। रिपोर्टिंग/नियंत्रक अधिकारियों को अपने अधीन अधिकारियों की उपस्थिति के अंकन को सुनिश्चित करना है और यदि कोई ए ई बी ए एस में छुट्टी चिह्नित किए बिना अनुपस्थित पाया जाता है, तो सी सी एस (आचरण) नियम, 1964 के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers under them are properly mapped and are marking their attendance in the system properly. The reporting/controlling officers are to ensure marking of attendance of officers under them and if anyone is found absent without marking leave in the AEBAS, action should be initiated under the CCS (Conduct) Rules, 1964.

सतर्कता अनुभाग हर महीने उपस्थिति रिपोर्ट को संकलित और अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा और इस संबंध में पहली रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को देय है।

Vigilance Section shall compile and submit the report on attendance every month to the undersigned and the first report is due on 31st March, 2023.

इसे आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Commissioner.


(राजेश्वरी आर. नायर RAJESWARI R. NAIR)

सीमा शुल्क अपर आयुक्त **ADDITIONAL COMMISSIONER OF CUSTOMS**

प्रति To:

1. सभी अनुभाग All Sections
2. सूचना पट्ट Notice Board
3. ई डी आई - सीमा शुल्क गृह, कोचिन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
EDI - for publishing in website of Custom House, Cochin.

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy submitted to: आयुक्त की फाईल The Commissioner's File.